D:\ADN\All Letter 2015.docx130

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2,जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(88)पोषा/राज्य/जिला स्तरीय समितियां/मबावि/2001–02 जयपुर, दिनांक:

उप निदेशक
महिला एव बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः–समितियों की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कराने बाबत।
प्रसंगः–समसंख्यक विभागीय पत्रांक 54581–613 दिनांक 18.06.2015

विषयान्तर्ग लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन, पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक एफ.6(34)प्र.सु./अनु–3/2013 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राज्य/जिला/ब्लॉक/आंगनबाडी स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समितियों का गठन किया गया है। समिति गठन के आदेश विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा समिति गठन के उक्त आदेशों की प्रति समस्त जिला कलक्टर, जिला प्रमुख, महापौर, नगर निगम, अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका को भी प्रेषित की गई है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश दिनांक 19.09.2013 की प्रति आपके स्तर से भी आपके जिले में समस्त जन प्रतिनिधियों एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाकर समितियों की निर्धारित अवधि में बैठके नियमित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

sd/-
(आर.एस.मीना)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(88)पोषा/राज्य/जिला स्तरीय समितियां/मबावि/2001–02 60286-289 जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)